कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2354 /11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांकः मार्च 12 ,2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त,
वाराणसी।

विषयः– पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहर–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2083/11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, दिनांक 20.02.2021 एवं आपका पत्रांक–2373/29–1, दिनांक 09.03.2021

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

गाजीपुर एवं जौनपुर वन प्रभाग में पायी गयी कमियॉः–

1. प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में हरियाली घनत्व 0.3 अंकित है, जोकि गलत है। अतः हरियाली घनत्व 0.1 अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
2. दोनों वन प्रभागों के द्वारा संलग्न किये गये **ऑनलाइन भाग–2, हार्डकापी भाग–2, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं Certificate of Non-Violation of Forest Conservation Act, 1980** में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में रेलवे विभाग द्वारा उल्लंधन किया गया है। अतः तदानुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र संशोधित करते हुये संलग्न करें।
3. दोनों वन प्रभागों के द्वारा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के **विरूद्ध की गयी कार्यवाही, सत्यापित एच0–2 केस की प्रति, एच0–2 केस के फलस्वरूप जमा की गयी प्रतिकर की सत्यापित रसीद, एच0–2 केस प्रशमित प्रमाण पत्र** संलग्न नहीं है।
4. जौनपुर वन प्रभाग के द्वारा प्रस्ताव में संलग्न सूची के अनुसार वृक्षों का विवरण ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नहीं किया गया है।
5. दोनों वन प्रभागों में ऑनलाइन भाग–2 में पूर्व में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को हटाते हुये संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2354 /11–सी– FP/UP/Rail/41878/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर/जौनपुर।
2. अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-326